में जारी हुए

17/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा-10 CPC दि. 23/12/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

23/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा-10 CPC दिनांक 17/2/2026 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
23/12/25

17/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा 10 CPC दिनांक 16/3/26 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
17/2/26

16/3/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रा०पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

1. ग्राम ग्राखेड़ा का कब्जा [illegible] अंकित आराजी को माननीय SDO court द्वारा [illegible] दिनांक 12/04/2018 को [illegible] RAA के समक्ष अपील सं० 54/2022 अनवान लीलाबाई बनाम अनोखबाई दायर की गई थी जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

RAA Kota द्वारा तकनीकी आधार पर अपने निर्णय दिनांक 02/01/2025 से खारिज कर दिया था जिसकी द्वितीय अपील प्रार्थीया द्वारा माननीय BOR में (अपील नं० 3125/2025 लीलाबाई बनाम मनोहर) दायर कर रखी है जो अभी लंबित है। ईबारायसर (डिक्रीदार) द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से से करीब 2½ बीघा अधिक भूमि की अपने पक्ष में डिक्री करा ली थी जबकि कोर्ट किसी भी व्यक्ति को जमाबंदी में दर्ज हिस्से से ज्यादा नहीं दे सकती है। अप्रार्थी (डिक्रीदार) के दर्ज हिस्से की भूमि उसी के खाते दर्ज है। प्रार्थीया ने नाथीबाई के हिस्से (राजस्व रिकार्ड में दर्ज) को क्रय बैयान पत्र अपने खाते दर्ज करा लिया है अतः हस्तगत प्रकरण में मूलवाद के राजस्व मंडल से निस्तारण होने पर ही निस्तारित किया जा सकता है। माननीय प्रार्थीया द्वारा आगे तर्क किया कि वादग्रस्त आराजी को एवं प्रार्थीया द्वारा भी खाता विभाजन का वाद सं. 89/2021 लीलाबाई V/s अंतरखबाई भी दायर किया था जिसमें न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा है। अतः डिक्रीदार की डिक्री की पालना खारिज की जाकर प्रकरण धारा-10 CPC एवं जारी किया।

3. माननीय अप्रार्थीया (डिक्री...) द्वारा उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया कि मूलवाद नं० 30/2016 रामनारायण बनाम पूराबाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.29 10:15:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मे प्रार्थिया लीलाबाई के पति कालूलाल पक्षकार थे और न्यायालय मे डिक्री हेतु पेश राजीनामे मे स्वयं ने हस्ताक्षर भी किये थे। प्रार्थिया से जिस नाथीबाई से उनका हिस्सा खरीदा था, वह हमारी बुआ थी और 40 वर्षों से अपने ससुराल मे रहती थी। कभी काबिज नहीं रहा था। उसके हिस्से पर डिक्रीदार व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त था। मूलवाद सं० 30/2016 मे सभी पक्षकारो द्वारा सहमति से राजीनामा पेश कर भूमि का बंटवारा कराया था लेकिन प्रार्थिया ने SDO court की फाईनल डिक्री जारी होने के बाद चोरी छिपे नाथीबाई को बहला फुसलाकर रजिस्ट्री करा ली थी और पटवारी से सांठगांठ कर नामान्तरण सं० 922 दर्ज करा लिया था। अप्रा० डिक्रीदार (अप्रार्थी) द्वारा आगे तर्क किया कि 'इजराय' (execution of decree) कोई fresh दावा नहीं होकर पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 12/04/2018 की पालना है। अतः दो भिन्न प्रकरण (दावे) लंबित नहीं है। माननीय राजस्व मंडल से 2nd अपील मे राजस्व कोई स्थगन आदेश भी जारी नहीं है। एवं अन्य लंबित मंडल अजमेर मे लंबित प्रकरण भिन्न-2 है। अतः प्रार्थिया प्रकरण के पक्षकार [illegible] का प्रार्थना पत्र u/s 10 CPC [illegible] 4. उभय पक्ष [illegible] पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम सलोतिया तहसील डूंगला की वादग्रस्त भूमि	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

को लेकर दो वाद - प्रकरण सं 3125/2025 लीलाबाई बनाम अनोखबाई एवं द्वितीय प्रकरण सं 89/2021 इनवान लीलाबाई बनाम अनोखबाई क्रमश: राजस्व मंडल, अजमेर एवं उपखंड अधिकारी पिड़ावा के समक्ष लंबित है, दोनो प्रकरणों मे भूमि (land-in-dispute) एवं पक्षकार भी (main parties) समान है। इन दोनो से अतिरिक्त प्रथम प्रकरण की पालना हेतु एक प्रकरण (इजराय - executn of decree) सं 06/2018 भी लंबित है। इजराय एक प्रा० का है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि की खाता सं 80 किता 27 कुल रकबा 66-13 बीघा मे विक्रेता नाथीबाई पुत्री मांगीलाल का हिस्सा 1/8 जबकि डिक्रीदारान का संयुक्त हिस्सा 1/4 दर्ज था लेकिन इस कोर्ट द्वारा जारी फाइनल डिक्री मे नाथीबाई को हिस्से 1/8 से करीब 21/2 बीघा भूमि एवं डिक्रीदारान (वादीगण) को दर्ज हिस्से 1/4 से करीब 21/2 बीघा भूमि अधिक दी गई थी जिसकी रिवीजन अपील राजस्व मंडल मे लंबित है। हस्तगत मूलवाद सं 10/2019 [illegible] v/s पूरीलाल मे भले ही राजस्व मंडल द्वारा कोई स्थगन आदेश नही है परन्तु राजस्व मंडल के निर्णय से पूर्व इस SDO court की डिक्री दिनांक 14/4/18 की पालना करने से multiplicity of suits

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म		अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	बढ़ेगी जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। समस्त वादग्रस्त आराजी के बंटवारे को लेकर क्रेता खातेदार /प्रार्थिया द्वारा भी डिक्रीदार व अन्य के विरुद्ध एक अन्य suit No. 89/2021 उनवान लीलाबाई v/s अनोखबाई इसी न्यायालय में लंबित है। इसी वाद के स्थगन प्रा० पत्र क्र० 86/2021 उनवान लीलाबाई v/s अनोखबाई भी इस न्यायालय में तलबी/मबाव के स्तर पर लंबित है जिसमें इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 09/12/2021 को temporary injuction जारी कर रखा है और इसलिए भी पूर्ववर्ती डिक्री दिनांक 14/4/2018 की पालना करना विधिक प्रतीत नहीं होता है (not lawful).	
	5. यह इजराय (application of execution of decree) विगत 08 वर्षों से लंबित चल रही है। इसी न्यायालय से प्रकरण क्र० 86/2021 लीलाबाई v/s अनोखबाई में प्रार्थिया के हिस्से 1/8 पर स्थगन जारी है जिससे डिक्री का execution नहीं हो सकता है। मूलवाद की डिक्री दिनांक 14/4/2018 की 2nd अपील भी लंबित है। राजस्व रिकार्ड में डिक्रीदारान के दर्ज हिस्से 1/4 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अर्थात recorded khatedar rights में परिवर्तन नहीं हुआ है। Land in dispute सभी प्रकरणों में समान है और सभी प्रमुख पक्षकार (main parties) भी समान है। चाहा गया अनुतोष (main relief) भी u/s 53 RT Act ही है। खातेदारी की घोषणा नहीं चाही है।	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्ब… अह… हुक्…
	6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। इस प्रकरण सं० 06/2018 (इजराय) की कार्यवाही को] को खारिज किया जाता है। डिक्रीदार को राजस्व मंडल अजमेर से अपील नं० 3125/2025 उनवान लीलाबाई बनाम मनोरखबाई व अन्य के निर्णय (adjudication) के बाद नियमानुसार पुनः इजराय (execution of decree) का प्रा० पत्र दायर करने की अनुमति दी जाती है। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ या अन्य लंबित वाद नं० 89/2021 के साथ संलग्न हो।	

16/03/2026

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner